

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2018/

दिनांक :

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 13218/2018 श्री महर्षि दाधीच एज्यूकेशन सोसायटी, कोटा (एम.डी.मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा) बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 13236/2018 सुहित जन कल्याण समिति, कोटा (सर्वोदय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्यू. कोटा) बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक : 30.08.2018 की पालना में उक्त संस्थानों को उक्त याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन निर्देशानुसार सत्र 2018-19 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निजी नर्सिंग संस्थाओं का नाम उनके सम्मुख अंकितानुसार विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फ़ैडरेशन कोटे से
1.	150.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार एम.डी.मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एज्यूकेशन, केशवपुरा, कोटा	कोटा	60	30	30
2.	151.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार सर्वोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, विज्ञान नगर, कोटा	कोटा	60	30	30

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

880/-
(डॉ० घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 31/08/18

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2018/1555

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को उनके द्वारा दी गई टिप्पणी के क्रम में।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट्स फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स, कोटा, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु में अपलोड करने का श्रम करे।
7. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा०.लि०, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

880/-
(डॉ० घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर